मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक ई एफ 1/ 1/ सात4/ **भोपाल दिनांक18/8/ 2025**

प्रति,

जिला कलेक्टर,
जिला जबलपुर, रतलाम, सिवनी, उमरिया, शहडोल, सतना, नरसिंहपुर, शाजापुर, छिंदवाडा, खंडवा, बालाघाट, भोपाल, मंदसौर, धार, भिंड, देवास, कटनी, मंडला, रीवा, सिंगरौली, ग्वालियर, खरगौन, राजगढ़, इंदौर ।
मध्यप्रदेश

विषय-: **राजस्व न्यायालयों से संबधित कार्यो के नियमित संचालन हेतु ।**

संदर्भ-:
1. **मंत्री परिषद के आयटम क्रमांक-1 दिनाकं 3 जून 2025, के निर्णय ।**
2. **मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 15/07/2025, 21/07/2025, 22/07/2025, 24/07/2025, 05/08/2025, 11/08/2025**
3. **मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के ज्ञापन क्रंमाक 9/2025, दिनांक 06/08/2025**
4. **शासन के पत्र क्रमांक ... दिनांक .. के माध्यम से जारी किया गया स्पष्टीकरण ।**

--0--

उपरोक्त संदर्भित निर्णयों / परिपत्रों के संबंध में आज दिनांक 18.08.2025 को कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। संवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों को सुना गया तथा तत्संबंध में उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। समग्र रूप से बातचीत के दौरान राजस्व न्यायालयों के संचालन संबंधी लागू की गई नवीन व्यवस्था के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण पुन: जारी किए जाते हैं।

1. शासन के आदेश क्रमांक ई एफ 1/1/सात-4 दिनांक 15.07.2025 की कंडिका चार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यकताअनुसार डाइज नॉन की कोई भी कार्यवाही विधिक प्रावधानों के अनुसार ही की जा सकेगी।
2. संभागीय मुख्यालय पर संदर्भित आदेश के माध्यम से संभागीय मुख्यालय पर 14 तथा जिला मुख्यालय पर 8 राजस्व अधिकारियों की व्यवस्था गैर-न्यायिक कार्य हेतु किये जाने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था मानक के तौर पर की गई है। संभाग एवं जिले की स्थानीय परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। तथापि प्रत्येक कार्य दिवस को राजस्व न्यायालयों के संचालन हेतु डेडीकेटेड राजस्व अधिकारी उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित किया जाना है।

3. जिलों में पदस्थ राजस्व अधिकारियों के मध्य वाहन व्यवस्था के संबंध में पूर्ण प्रसारित निर्देश के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपलब्ध वाहनों का जिले में कलेक्टर स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर राजस्व अधिकारियों के मध्य आवंटन कर सकेंगे।
4. राजस्व अधिकारियों के ग्रेड-पे एवं क्रमोनति के संबंध में विभागीय स्तर पर प्रचिलत कार्यवाही में शीघ्रता लाई जाएगी।
5. पूर्व में जारी किए गए संदर्भित आदेशों / परिपत्रों में उल्लेखित न्यायिक एवं गैर-न्यायिक अधिकारी के स्थान पर राजस्व न्यायालयों के संचालन हेतु राजस्व अधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी समझा जाए।
6. कलेक्टर जिले के किसी न्यायालय को मर्ज करने के पूर्व इस बारे में राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त करेंगे।

पूर्व में जारी शेष सारे निर्देश यथावत रहेंगे।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रं ई एफ 1/1/सात 4

भोपाल दिनांक 18/8/2025

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय राजस्व मंत्री जी मध्यप्रदेश ।
2. सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल ।
3. कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर।
5. आयुक्त .....संभाग.....म.प्र ।
6. समस्त कलेक्टर (**शेष जिले**) की ओर सूचनार्थ ।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग